



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA
(Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India)



क्षेत्रीय कार्यालय / REGIONAL OFFICE

ई-6/47, स्मृति परिसर, साईबोर्ड के पास, अरेरा कॉलोनी, भोपाल (म.प्र.)-462016

E-6/47, Smriti Parisar, Near Sai Board, Arera Colony, Bhopal (M.P.)-462016

दूरभाष/Phone: 0755-2426638, फैक्स/Fax: 0755-2426698, ई-मेल/E-mail ID: robhopal@nhai.org

भाराराप्रा/क्षे.का.-म.प्र./दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे/765 के.वी./2025/ 55277 दिनांक 11.09.2025

Invitation of Public Comments/ सार्वजनिक टिप्पणियों का आमंत्रण

विषय: 765 केवी लाइन (मंदसौर-कुरावर डबल सर्किट हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन) को दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे (एनई-4) के किमी 521+500 ग्राम चाहखेड़ी तहसील सीतामऊ जिला मंदसौर (पीकेजी-19) पर पार करने की अनुमति बावत।

संदर्भ: परियोजना निदेशक-रतलाम का ई-फाईल नं. 292543.

1. परियोजना निदेशक, पीआईयू-रतलाम, भाराराप्रा द्वारा ई-ऑफिस क्रमांक 292543 के माध्यम से 765 केवी लाइन (मंदसौर-कुरावर डबल सर्किट हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन) को दिल्लीह-मुंबई एक्सप्रेसवे (एनई-4) के किमी 521+500 ग्राम चाहखेड़ी तहसील सीतामऊ जिला मंदसौर (पीकेजी-19) पर पार करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।
2. PD, PIU-Ratlam, NHAI vide e-office no. 292543 has submitted the proposal for Permission to overhead crossing of 765 KV line (Mandsuar- Kurawar double circuit transmission line) crossing of Dehli - Mumbai Expressway (NE-4) at Ch. 521+500 Village Chahkhedi Tehsil Sitamau District Mandsaur (PKG-19).
1. मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या OM No. RW/NH-33044 S&R (R) dated 22.11.2016 के अनुसार, दावे और आपत्तियां (सार्वजनिक असुविधा, सुरक्षा और सामान्य सार्वजनिक हित के आधार पर) मांगने के लिए आवेदन को 30 दिनों के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा जाएगा।

As per Ministry vide OM No. RW/NH-33044 S&R (R) dated 22.11.2016, the application shall be put out in public domain for 30 days for seeking claims and objections (on ground of public inconvenience, safety and general public interest).

2. तदनुसार, दावे और आपत्तियां मांगने के लिए उपरोक्त प्रस्ताव (आवेदन की प्रति संलग्न) पर 30 दिनों के भीतर (यानी 11.10.2025 तक) सार्वजनिक पोर्टल (यानी MoRTH की वेबसाइट (www.morth.nic.in)) पर जनता की टिप्पणियां आमंत्रित की जाती हैं, जिसके बाद किसी भी टिप्पणी पर विचार नहीं किया जाएगा। टिप्पणी आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी का पता इस प्रकार है:

(Signature) (Y2)

3. Accordingly, the public comments are hereby invited on the above proposal (copy of application enclosed) for seeking claims and objections within 30 days (i.e. by 11.10.2025) on public portal (i.e. website of MoRTH (www.morth.nic.in)) beyond which no comments will be considered. The address of comments inviting authority is as under:

राजमार्ग प्रशासक, क्षेत्रीय अधिकारी कार्यालय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ई-6/47, स्मृति परिसर, साई बोर्ड अरेरा कॉलोनी के पास, भोपाल (मप्र)-462016	The Highway Administrator O/o Regional Officer, National Highways Authority of India E-6/47, Smriti Parisar, Near Sai Board Arera Colony, Bhopal (MP)-462016
--	--

यह पत्र राजमार्ग प्रशासक सह क्षेत्रीय अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त जारी किया जा रहा है।


(रामविलास पटेल)
प्रबंधक (तक.)

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:

1. वेब एडमिन, भा.रा.रा.प्रा., मुख्यालय, नई दिल्ली की ओर सर्वजनिक टिप्पणियों के लिए भा.रा.रा.प्रा. की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।
2. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी, परिवहन भवन, नई दिल्ली की ओर सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए सड़क परिवहन की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।
3. परियोजना निदेशक, पकाई-रतलाम (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. पावरग्रिड मंदसौर ट्रांसमिशन लिमिटेड, मंदसौर (म.प्र.), की ओर सूचनार्थ प्रेषित।